कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12047/2020 अमित कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थी को जयपुर मण्डल आवंटित कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोसल, गुजरान, ब्लॉक–राजगढ़, जिला–अलवर में पदस्थापित किया गया, जबकि याचिकार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अध्यापक लेवल–1 के पद पर चूरू जिले में कार्यरत है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति–पत्नी प्रकरण (यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन किया जावें) के आधार पर जयपुर मण्डल के स्थान पर चूरू मण्डल आवंटित कर चूरू जिले में पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार ''सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें,'' के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में याचिकार्थी का आयोग द्वारा वरीयता क्रमांक 414 वर्ग एवं चयन वर्ग GENM (सामान्य पुरूष) पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार चौथी प्राथमिकता पर अंकित जयपुर मण्डल आवंटित आवंटित किया गया। याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता पर क्रमशः अंकित चूरू, बीकानेर एवं अजमेर मण्डल में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग GENM (सामान्य पुरूष) में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः 31, 337 एवं 291 रहा है, जबकि याचिकार्थी का वरीयता क्रमांक 414 है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग GENM (सामान्य पुरूष) में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता पर अंकित चूरू, बीकानेर एवं अजमेर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

याचिकार्थी द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर जयपुर मण्डल के स्थान पर चूरू मण्डल आवंटित कर पदस्थापन करने की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पत्नी के

राजकीय सेवा में चूरू जिले में कार्यरत होने के आधार पर जयपुर मण्डल के स्थान पर चूरू मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा जयपुर मण्डल के स्थान पर चूरू मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13123/2020
दिनांकः– 13.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. याचिकार्थी अमित कुमार पारीक पुत्र श्री राधे श्याम पारीक, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोसल गुजरान, ब्लॉक–राजगढ़, जिला–अलवर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)